

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला स्थापना शाखा)

—आदेश—

सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-05 (बजट), दिनांक-05.05.2015 के आलोक में मुख्य शीर्ष-3456 सिविल पूर्ति उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन उप शीर्ष 0002 मॉग सं0-18, जिला प्रभार विपत्र कोड-N-3456000010002 गैर योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष- 2015-16 में व्यय हेतु वेतनादि एवं अन्य मदों में आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्न प्रकार जिला के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के DDO कोड वार उपावटित किया जाता है:-

क्र0	ईकाइ/कुट सं0	जिला स्थापना उप समा0, मधेपुरा	जिला नजारत उप समा0, मधेपुरा	अनुमंडल पदा0, मधेपुरा	अनुमंडल पदा0, उदाकिशुनगंज	कुल योग
		DDO Code- REV 012	DDO Code- DIS 002	DDO Code - HOM 006	DDO Code- PER 010	
01	02	03	04	05	06	07
1.	वेतन 0101	900000	00	800000	300000	2000000
2	जी0या0 भत्ता 0103	1100000	00	860000	300000	2260000
3	आवास भत्ता 0104	140000	00	110000	50000	300000
4	चिकि0 भत्ता 0106	12000	00	9000	4000	25000
5	अन्य भत्ता 0107	7500	00	7500	00	15000
	कुल	2159500	00	1786500	654000	4600000
6	कार्या0 व्यय 1301	—	21000	—	—	21000
7	वाहन एवं ईंधन 1302	—	60000	—	—	60000
8	यात्रा व्यय 1101	4000	00	4000	—	8000
9	वर्दी/पोषाक 1306	—	2500	2500	—	5000
10	विद्युत प्रभार 1304	—	50000	—	—	50000
11	दूरभाष 1303	—	15000	—	—	15000
12	प्रशिक्षण व्यय 2003	—	30000	—	—	30000
13	व्यवसायिक एवं विशेष सेवा 2801	—	50000	—	—	50000
	कुल योग—	2163500	228500	1793000	654000	4839000

(मो0- अड़तालीस लाख उनचालीस हजार रुपये मात्र)

- संबंधित आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-295/वि0, दिनांक-24.03.2015 एवं पत्रांक-3429/वि0.(2) दिनांक- 01.04.2015 के आलोक में किया जाता है।
- उपर्युक्त उपावटित राशि मुख्य शीर्ष-3456 सिविल पूर्ति उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन उप शीर्ष 0002 मॉग सं0-18, जिला प्रभार विपत्र कोड-N-3456000010002 गैर योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष- 2015-16 में विकलनीय होगा।
- संगत वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत उपावटित राशि का नियमानुकूल व्यय संबंधित उपावटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- इस आवंटन से स्वीकृत बल के अधीन में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों का ही भुगतान किया जाएगा।
- 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवा की राशि से संविदा आधारित कर्मियों को ही मानदेय का भुगतान किया जाना है।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन से न्यायिक मामलों से संबंधित वादों एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारी के बकाया वेतनादि का भुगतान कर देंगे ताकि वेसे मामलों न्यायालय वाद का सामना नहीं करना पड़े।
- उपावटित राशि का विचलन कर अन्य मदों में कदापि व्यय नहीं किया जाय।
- इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

30/-
समाहर्ता,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 367-2 /स्था0, मधेपुरा, दिनांक- 16.05.2015

प्रतिलिपि:- सरकार के सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि

समाहरणालय अन्तर्गत डी0डी0ओ0 कोड वार उपर्युक्त उपावटित राशि को CTMIS में प्रविष्ट कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:- जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा/जिला स्थापना उप समाहर्ता, मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज/ कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

16/5/15
समाहर्ता,
मधेपुरा।